अर्द्धशासकीय पत्रांकः उ0वि0षि0प0/सि0सेल/मू0कार्य/ 32-3174 /2021&22

डॉ0 नीता तिवारी

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर, (नैनीताल)।
दिनांक 04 जुलाई, 2021

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 226/XXIV-B-5/2020-3(1)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 10 एवं शासनादेश संख्याः 401/XXIV-B-5/2021-03(01) 2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 12 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा रद्द/निरस्त कर दी गयी। शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार **कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल द्वारा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड (Objective Criterion) पृथक से निर्धारित/तैयार किये जायेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार मापदण्डों द्वारा प्रदत्त अंको (MARKS) से संतुष्ट नहीं होता है तो परिस्थितियां सामान्य होने पर यदि कोई परीक्षा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित की जाती है, तो उस परीक्षा में आवेदन/सम्मिलित होने का अवसर सम्बन्धित अभ्यर्थी को तत्समय प्रदान किया जायेगा।**

हाईस्कूल (कक्षा 10), इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल निर्माण हेतु मापदण्ड निर्धारण हेतु शासनादेश सख्याः 403/XXIV-B-5/2021-3(1)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10), इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल निर्माण हेतु मापदण्ड निर्धारण हेतु दिये गये प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश सख्याः 445/XXIV-B-5/2021-03(01)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 03 जुलाई, 2021 के हाईस्कूल (कक्षा 10), इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) तथा कृषि वर्ग की कक्षा 11 की परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्माण कार्य के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। (शासनादेश संलग्न)

परिषदीय परीक्षा 2021 का परीक्षाफल इन्हीं मापदण्डों के आधार पर तैयार किया जाना है। परीक्षाफल निर्माण कार्य के शुचितापूर्ण संचालन तथा त्रुटिहीन परीक्षाफल निर्माण के लिये विद्यालय स्तर और परीक्षा केन्द्र स्तर पर परीक्षाफल निर्माण कार्य हेतु समितियों का निम्नवत गठन किया गया है :–

**(1)-** प्रत्येक विद्यालय में, जहां से परीक्षार्थी परीक्षा हेतु पंजीकृत हुये हों, निम्नवत एक परीक्षा मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी–

| | |
|---|---|
| 1- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य | : पदेन अध्यक्ष |
| 2- समस्त विषयाध्यापक | : सदस्य |
| 3- विद्यालय का परीक्षा प्रभारी | : सदस्य सचिव |
| 4- मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक संस्थाध्यक्ष/ वरिष्ठ शिक्षक | : पर्यवेक्षक । |

**इस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में प्रत्येक विद्यालय में, विद्यालय के निकटतम स्थित राजकीय अथवा सवित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ शिक्षक की तैनाती मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। पर्यवेक्षक नामित करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाय कि पारस्परिक रूप में एक–दूसरे विद्यालय में तैनाती नहीं की जायेगी, अर्थात जिस विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी उस विद्यालय में पर्यवेक्षक की तैनाती से भिन्न विद्यालय से ही पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी।**

**अतः समयान्तर्गत नियमानुसार पर्यवेक्षकों की तैनाती करते हुए समितियों के गठन की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।**

परिषदीय परीक्षा वर्ष 2021के परीक्षाफल निर्माण हेतु विद्यालय स्तरीय समिति के प्रयोगार्थ आवश्यक प्रपत्र एवं निर्देश परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2)– परिषदीय परीक्षा 2021 हेतु जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप में अधिसूचित किये गये थे वे समस्त परीक्षा केन्द्र उन समस्त विद्यालयों हेतु मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे जिनके वे परीक्षा केन्द्र थे। विद्यालयों से प्राप्त सूचना (अंकों) के आधार पर केन्द्र में परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16) पर संबंधित छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों की अंकना सावधानीपूर्वक की जायेगी।

उक्त कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप में माना जायेगा) पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का निम्नवत् गठन किया जायेगा–

| | | |
|---|---|---|
| **1–** | **संबंधित केन्द्र का प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य** | **: पदेन उप नियंत्रक** |
| **2–** | **मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक संस्थाध्यक्ष / वरिष्ठ शिक्षक** | **: पर्यवेक्षक / सह नियंत्रक** |
| **3–** | **विद्यालय का परीक्षा प्रभारी** | **: सदस्य सचिव** |

**इस समिति में पर्यवेक्षक के रूप में निकटतम स्थित राजकीय अथवा सवित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ शिक्षक की तैनाती मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। पर्यवेक्षक नामित करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जिस विद्यालय से पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी उस विद्यालय के छात्रों का यह विद्यालय परीक्षा केन्द्र न रहा हो। परीक्षा केन्द्र स्तरीय समिति में ऐसे किसी भी प्रधानाचार्य / शिक्षक को नामित न किया जाय, जिनके पाल्य उस परीक्षा केन्द्र / विद्यालय में अध्ययनरत् हों।**

**अतः समयान्तर्गत नियमानुसार पर्यवेक्षकों की तैनाती करते हुए समितियों के गठन की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।**

वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफल निर्माण के उपयोगार्थ परिषद् कार्यालय द्वारा विभिन्न आवश्यक प्रपत्र विद्यालय स्तरीय एवं परीक्षा केन्द्र स्तरीय समितियों हेतु तैयार कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3)– वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षाओं में परिषद् कार्यालय से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को ओ0एम0आर0 एवार्ड ब्लैंक विषय संकेतांकवार प्रेषित किए जा रहे हैं। ओ0एम0आर0 एवार्ड ब्लैंक का मिलान कर लिया जाय, यदि किसी विषय के ओ0एम0आर0 एवार्ड ब्लैंक अप्राप्त हों तो तत्काल उसकी सूचना परिषद् कार्यालय को फैक्स एवं दूरभाष के माध्यम से प्रेषित की जाय। ओ0एम0आर0 एवार्ड ब्लैंक को पृथक–पृथक छांटने के पश्चात् मुख्य पर्ण एवं प्रतिपर्ण के बांये कोने में हरी स्याही से अपने लघु हस्ताक्षर करके तथा ओ0एम0आर0 एवार्ड ब्लैंक के पृष्ठ भाग में परीक्षा केन्द्र कोड की मुहर निर्धारित स्थान पर लगायें। कृपया ध्यान रखें कि केन्द्र कोड की मुहर अग्रभाग में कदापि न लगाई जाय। यह समिति विद्यालयों से प्राप्त प्राप्तांकों एवं प्रपत्रों के विवरण का अवलोकन एवं परीक्षण करेगी। इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर सम्बन्धित विद्यालय स्तर से इसका निराकरण करवाने के उपरांत अंकों की अंकना ओ0एम0आर0 एवार्ड / सी0सी0 16 में करवायेगी। समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को भी पूरित करेगी।

विद्यालयों से प्राप्त सूचना (अंकों) को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0 / सी0सी0 16) पर अंकना करने हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य अपने विद्यालय से इस प्रकार के कार्य में दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था करेगा। इस हेतु कम से कम दो अध्यापकों की तैनाती की जायेगी, जिसमें एक के द्वारा विद्यालय से प्राप्त अंकों की अंकना ओ0एम0आर0 एवार्ड / सी0सी0 16 प्रपत्र में की जायेगी तथा दूसरे के द्वारा ओ0एम0आर0 एवार्ड / सी0सी0 16 में अंकित किये गये अंकों की अंकना की जॉच की जायेगी। छात्र संख्या अधिक होने की स्थिति में तदनुसार दो के गुणांकों में अतिरिक्त दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है। यदि विद्यालय में इस हेतु पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था न हो तो *खण्ड / मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निकटवर्ती विद्यालयों से अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकेगी।* इस कार्य में लगाये गये अध्यापकों की सूचना परिषद् को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समयावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0 एवार्ड/सी0सी0 16 प्रपत्रों में अंकों की अंकना कर ओ0एम0आर0 एवार्ड/सी0सी0 16 प्रपत्रों को विषयवार सीलबंद लिफाफों में बंद कर निकटतम संकलन/उप संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्तांक से संबंधित प्रारूप/प्रपत्र पृथक से विद्यालयवार एक लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराये जायेंगे। **ओ0एम0आर0 एवार्ड शीट में स्टेपलर एवं आलपिन कदापि न लगाये जांय।**

इसके साथ ही विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा के ओ0एम0आर0 एवार्ड/सी0सी0 16 आदि के सीलबंद लिफाफे में उप संकलन/संकलन केन्द्र के माध्यम से परिषद् कार्यालय के गोपनीय–6 अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

उप संकलन केन्द्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार सामग्री प्राप्त कर मुख्य संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य संकलन केन्द्र सामग्री प्राप्ति के तत्काल बाद सामग्री परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

**(4)**– हाईस्कूल आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के ओ0एम0आर0 एवार्ड निर्देशानुसार पूरित कर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरोपरान्त जिस लिफाफे/पॉली बैग में प्रेषित किया गया है उसी में उपसंकलन/मुख्य संकलन केन्द्र के माध्यम से वापस परिषद् कार्यालय के गोपनीय–6 अनुभाग को उपलब्ध करवाये जांय।

**(5)**– विद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाफल निर्माण हेतु गठित समितियों द्वारा किये जा रहे कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। पर्यवेक्षण/निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी परीक्षाफल निर्माण प्रकिया में प्रयुक्त हो रहे अभिलेखों एवं निर्धारित प्रकिया के अनुपालन की स्थिति का अवलोकन करते हुए आवष्यक निर्देशन प्रदान करेंगे ताकि त्रुटिहीन परीक्षाफल तैयार किया जा सके। ।

**(6)**– मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्यालय/परीक्षा केन्द्रों पर जाकर सम्बन्धित समिति से सम्पर्क कर उनकी कठिनाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आवश्यकतानुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं केन्द्र व्यवस्थापक जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से भी सम्पर्क स्थापित करें।

(7)– यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कहीं परीक्षाफल का पूर्व प्रकटन कर गोपनीयता तो भंग नहीं की जा रही है। यदि प्रधानाचार्य/अध्यापक/कर्मचारी इस कपट में सम्मिलित पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध विनियमों के अध्याय तीन (सेवा की शर्ते) के विनियम 46 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **विनियम 46* निम्नवत् है:–**

**विनियम–46*–कर्मचारी को वेतन के कालमान में वार्षिक वेतन वृद्धियां ग्राह्य होगी, जब तक कि उसकी वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है अथवा वह दक्षतारोक पर निरुद्ध नहीं किया जाता है।**

**ऐसे किसी कर्मचारी, अध्यापक या प्रधान को वेतनवृद्धि ग्राहय नहीं होगी जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों को निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा परिषद् परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल कराने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से संबंधित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा प्रकरण को दबाने अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्य में बाधा डालने तथा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किये जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा–फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।**

उक्त के अतिरिक्त ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(8)– परिषद् की परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराने में मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहना है। इस विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अत्यधिक सतर्कता के साथ यह देख लें कि परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया का संचालन परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो तथा इसकी व्यवस्था में कोई शिथिलता अथवा कठिनाई या अवरोध उत्पन्न न होने पाये। इस संबंध में प्रभावी अनुश्रवण किया जाय

(9)–यदि कोई व्यक्ति/कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परीक्षाफल की गोपनीयता भंग करता है इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें तथा स्थिति से तुरन्त मुझे अवश्य अवगत करायें। यदि कोई व्यक्ति /कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गोपनीयता भंग करता है/मारपीट करता है/धमकी देता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाय।

**(10)– हाईस्कूल परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र अपने परीक्षा केन्द्र संख्या की मुहर बनाकर निर्धारित स्थान पर लगायेंगे। मिश्रित परीक्षा केन्द्र की स्थिति में एक हाईस्कूल परीक्षा केन्द्र संख्या एवं दूसरी इण्टर परीक्षा केन्द्र संख्या की मुहर बनायी जाय तथा परीक्षा अनुसार उनका प्रयोग किया जाय। इस वर्ष आपके जनपद में जो भी नये परीक्षा केन्द्र बने हों उन पर विषेश ध्यान देकर परिषद् के मानकों के अनुरूप समस्त व्यवस्थाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।**

(11)– परीक्षाफल निर्माण प्रकिया में शिथिलता एवं दायित्वों का निर्वहन न करने पर उसके विरुद्ध विनियम 96 और विनियम 97(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विनियम 96* व 97(क)** निम्नवत् हैः–

**विनियम 96– प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी, जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन तथा मूल्यांकन केन्द्र से सम्बन्धित परिषद् अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई दायित्व/कार्य सौंपा जायेगा, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों को लाने, ले जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी सम्मिलित है, उनकी सेवा का अंग माना जायेगा। उक्त कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जान–बूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**विनियम 97(क)– परिषदीय परीक्षाओं में जिन व्यक्तियों की ड्यूटी केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई जायेगी, ऐसे व्यक्ति केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षण कार्य हेतु सौंपे गये दायित्व का निर्वहन करने में आना–कानी करें या जान–बूझकर अनुपस्थित हों, तो ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**(12)– कोरोना वाइरस संक्रमण से बचाव/रोकथाम संबंधी उपायः–**

परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान कोरोना वाइरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव/रोकथाम संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों पर निम्नवत् व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा–

I- विद्यालय/परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र में सेनेटाइजेशन का कार्य स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जायेगा।

II- विद्यालय/परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र द्वारा परीक्षा कार्य में लगे समस्त कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क/फेस शील्ड एवं हैंड सेनेटाइजर के साथ कार्य संपादन हेतु निर्देषित किया जायेगा।

h/

III- विद्यालय/परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र द्वारा परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सर्वप्रथम परीक्षा कार्य में लगे समस्त कार्मिकों की थर्मल स्केनिंग हेतु व्यवस्था की जायेगी। प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था और उसका प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

IV- शौचालयों की स्वच्छता एवं सफाई का विषेष ध्यान रखा जायेगा। शौचालयों के बाहर हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

V- कार्य संपादन सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए किया जायेगा।

VI - विद्यालय/परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित/संदेहास्पद अध्यापक/कार्मिक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रत्येक परिषदीय परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पर्क/निर्देश हेतु परिषद् कार्यालय की E-Mail:- secy-ubse-uk@nic.in, Mob.No.9411168544, 9410345168, 9412110199,7579246923, Tel. No. 05947-254275 तथा Fax No:- 05947-255021 है।

मैं आशा करती हूँ कि आप द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने से परीक्षा केन्द्रों पर निर्विघ्न रूप से परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया का सुचारू संचालन हो सकेगा एवं परीक्षा की पवित्रता एवं गरिमा बनी रहेगी।

'सस्नेह'

भवनिष्ठ

(डॉ0 नीता तिवारी)

प्रतिष्ठा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी (नाम से)
उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्याः उ0वि0शि0प0/सि0सेल /मू0कार्य/ 32-3174 /2021-22 दिनांक उक्तवत्।

**प्रतिलिपिः–** निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी षिक्षा परिषद्।
3. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्तवत दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।